रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एम0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 17 अक्तूबर, 1990/25 आश्विन, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 15 सितम्बर, 1990

संख्या गृह (बी) 1-10/68.—हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवा अधिनियम, 1972 (1973 का 5) की धारा 7 की उप-धारा (3) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी अधिसूचना संख्या गृह (बी) 1-10/68 दिनांक 15-9-1990 में वर्णित सेवाओं में नियोजित किसी व्यक्ति द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन किए गए अपराध के बारे में लिखित शिकायत करने के लिए प्राधिकृत करते हैं:—

अनुसूची

नियोजन का नाम	प्राधिकृत अधिकारी
1. हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा।	1. महाआदेशक, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा तथा निदेशक' अग्नि शमन विभाग, हि0 प्र0।
	2. उप-महाआदेशक, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, हि0 प्र0।
	3. समस्त आदेशक, गृह रक्षा, हि0 प्र0।

नियोजन का नाम	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
2. हिमाचल प्रदेश सचिवालय ।	1. उप-सचिव (सचिवालय प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2. 2. विशेष कार्यअधिकारी (सचिवालय प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार । 3. अवर सचिव (सचिवालय प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।

आदेश द्वारा,
पी0 टी0 वांगडी,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

Shimla-2, the 15th September, 1990

No. Home (B) 1-10/68.—In exercise of the powers vested in him under Section 3 (*i*) (*ii*) of the Himachal Pradesh Essential Services (Maintenance) Act, 1972 (Act No. 5 of 1973), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of the Himachal Pradesh Essential Services (Maintenance) Act, 1972 (Act No. 5 of 1973) shall apply to employments in the following departments of the H. P. Government :—

1. Home Guards and Civil Defence Department.	All employments (excluding Home Guards who are governed by separate law.
2. Himachal Pradesh Civil Secretariat.	All employments concerning Watch and Ward Staff including Caretakers, Chowkidars, Frashes, Resident Assistant and his assisting staff, Gate-keepers and conservancy staff.

By order,
P. T. WANGDI,
Financial Commissioner-cum-*Secretary*.

सामान्य प्रशासन विभाग

(सी-अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 1 अक्तूबर, 1990

संख्या जी0ए0डी0 (जी0 आई0) 6(एफ0)-4/90.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक जी0ए0डी0 (जी0 आई0) 6 (एफ0)-4/90, दिनांक 26-5-1990 का क्रम जारी रखते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित सदस्यों को पुनर्गठित राज्य स्तरीय राष्ट्रीय एकता समिति में सदस्य मनोनीत करने के सहर्ष तत्काल आदेश देते हैं:—

1. श्री ज्ञान चन्द, सदस्य की जगह श्री रणबीर सिंह, एडवोकेट, हमीरपुर ।

2. मेजर (सेवा निवृत) डी0डी0 खानुरिया, सांसद, लोक सभा ।

2. अन्य शर्तें वही होंगी जो इस विभाग की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 26-5-1990 में दर्शाई गई हैं।

आदेशानुसार,
एम0 एस0 मुखर्जी,
मुख्य सचिव।

राजस्व 'डी' विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 अक्तूबर, 1990

संख्या राजस्व-डी (ए) 4-6/88.—हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ ऐक्ट, 1977, (ऐक्ट नम्बर 29 आफ 1978) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भूदान बोर्ड हिमाचल प्रदेश को समाप्त करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेशानुसार,
अत्तर सिंह,
वित्तायुक्त।

पचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 अक्तूबर, 1990

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (4)-42/76-VII.—हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों के आम चुनावों की प्रक्रिया अक्तूबर, 1985 में पूर्ण हो चुकी थी;

और हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत के प्रधानों ने अक्तूबर, 1985 में अपने पद की शपथ ले ली थी और उसके पश्चात् उप-प्रधानों और पंचों ने अपनी-अपनी ग्राम पंचायत में अपने पद की शपथ ले ली थी;

और हिमाचल प्रदेश में प्रधान, उप-प्रधान और पंचों ने अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में, अक्तूबर, 1985 से पद की शपथ ले लेने के पश्चात् अपने-अपने पद ग्रहण कर लिये थे;

और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) की धारा 10 की उप-धारा (2) के अधीन यथा-विहित, प्रधानों, उप-प्रधानों और पंचों के पद की अवधि अक्तूबर, 1990 में समाप्त हो जाएगी;

और देश में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने की दृष्टि से भारत सरकार, भारत के संविधान में संशोधन करने का विचार कर रही है;

और हिमाचल प्रदेश सरकार की यह राय है कि राज्य में ग्राम पंचायतों के आम चुनावों को लोक-हित में स्थगित करना समीचीन होगा।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) की धारा 10 की उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों के प्रधानों, उप-प्रधानों और पंचों के वर्तमान 5 वर्ष के कार्यकाल का यथास्थिति 31-3-1991 तक या ग्राम पंचायतों के आम चुनाव होने तक, जो भी पहले हो, विस्तार करते हैं ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त (विकास) एवं सचिव (पंचायत) ।

[*Authorised English text of this Department notification No. PCH-HA*(4)42/76-*VII, dated 5th October*, 1990 *as required under Article* 348(3) *of the Constitution of India*].

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the 5th October*, 1990

No. PCH-HA (4) 42/76-VII.—Whereas the process for general elections of Gram Panchayats in Himachal Pradesh was completed in October, 1985 ;

And whereas the Pradhans of the Gram Panchayats in the Himachal Pradesh have taken oath of office in the month of October, 1985 and thereafter Up-Pradhans and Panches have taken oath of office of their respective Gram Panchayats ;

And whereas the Panches, Up-Pradhans and Pradhans of the respective Gram Panchayats in Himachal Pradesh have entered upon the duties of their offices respectively in the month of October, 1985 after taking oath of offices ;

And whereas the term of office of the Pradhans, Up-Pradhans and Panches in Himachal Pradesh as prescribed under sub-section (2) of section 10 of the H machal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968 (Act No. 19 of 1970) is to expire in October, 1990 ;

And whereas with a view to strengthening of Panchayati Raj Institutions in the country, Government of India is contemplating to amend the Constitution of India ;

And whereas the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it would be expedient in the public interest that the general elections of the Gram Panchayats in the State be postponed.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to sub-section (2) of section 10 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968 (Act No. 19 of 1970), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to extend the existing tenure of 5 years of Pradhans, Up-Pradhans and Panches of Gram Panchayats in Himachal Pradesh upto 31-3-1990 or till the completion of general elections of the Gram Panchayats, whichever is earlier, as the case may be.

By order,
Sd/-
Financial Commissioner (*Dev.*)-cum-*Secretary* (*Panchayats*).

जन जातीय विकास विभाग

शुद्धिपत्र

शिमला-171002, 9 अक्तूबर, 1990

संख्या टी0 डी0 (ए) 4-7/82-II.--कृपया इस विभाग की अधिसूचना संख्या टी0 डी0 (ए) 4-7/82-II, दिनांक 3-9-1990 में पैरा-1 के अन्तर्गत क्रम संख्या 17 पर "श्रीमती विजय लक्ष्मी, ग्राम व डाकघर कानम, जिला किन्नौर-172107" के स्थान पर निम्नलिखित डाक पता पढ़ा जाए :--

"श्रीमती विजय लक्ष्मी,
गांव कामरू, डाकघर कामरू, तहसील सांगला,
जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश-172106"

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।